

18/8/2022 वकील अपीलेंड उर्फ पत्रावली का
अवलोकन किया गया। उपरोक्त अधिकारी
मारवाड - जंक्शन द्वारा मूल वाद
सेरवा 21/2018 बभनवान नारायण लाल
बनाम दाउलाल वैश्या में निर्णय दिनांक
7-7-2022 को ही चुका है। इसलिये यह
प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से
खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल
शुभार होकर नम्बर से ठीक है।

१
राज्यपाल जनक प्राधिकारी
पाली